भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 785

23 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पादपों की खेती और उत्पादन

785. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्री टी.आर.वी.एस रमेशः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औषधीय पादप बोड (एनएमपीबी) और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई) ने भारत म औषधीय पादपों/ जड़ी-बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने हेतु हाल ही म एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसम अंतर्विष्ट सहयोग की शत क्या ह;

(ग) क्या उक्त समझैता ज्ञापन एनएमपीबी द्वारा पहचाने गए औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तापूण रोपण-सामाग्री (क्यूपीएम) के विकास, उनकी नसरी स्थापित करने के साथ-साथ उच्च-तुगंता और विभिन्न कृषि-जलवायु वाले क्षेत्रों म संकटग्रस्त औषधीय पादपों की प्रजातियों और पौधों सहित उपयुक्त औषधीय पापदों के विकास, प्रोत्साहन, संरक्षण और खेती की सुविधा प्रदान करेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या;

(घ) क्या एनएमपीबी सीएसआईआर-एनबीआरआई को नसरी और बीज बक/जीन बक स्थापित करने और उच्च वाणिज्यिक मूल्य वाले संभावित औषधीय पादपों की प्रजातियों के जमप्लाज्म का संग्रहण/संरक्षण करने म सहायता करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एनएमपीबी ने इस संबंध म राज्य औषधीय पादप बोर्डों (एसएमपीबी) जैसी कायान्वयन एजेंसियों को निदेश/दिशानिदश जारी किए ह तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई)

(क): जी हां, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने हाल ही म औषधीय पादप जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास करने के लिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए ह।

(ख): भारत म औषधीय पादप क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सहयोग प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ह। इस समझौता ज्ञापन का कायकाल हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन वष है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के सहयोग की शर्तें **संलग्नक-I** म दी गई ह।

(ग): जी हां, यह समझौता ज्ञापन एनएमपीबी द्वारा पहचाने गए औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों का गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के विकास, नर्सरियों का स्थापना करने के साथ-साथ देश के उच्च तुंगता और विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में संकटग्रस्त औषधीय पादपों का प्रजातियों सहित उपयुक्त औषधीय पादपों के विकास, प्रोत्साहन, संरक्षण और खेती को सुविधा प्रदान करेगा। इसका ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): जी हां, इस समझौता ज्ञापन के तहत, एनएमपीबी बीज/जीन बैंकों का स्थापना और उच्च वाणिज्यिक मूल्य के साथ संभावित औषधीय पादपों का प्रजातियों के जर्मप्लाज्म का संग्रहण/संरक्षण करने के लिए परियोजना मोड में सीएसआईआर-एनबीआरआई को सहायता प्रदान करेगा। इसका ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ.): एनएमपीबी राज्य औषधीय पादप बोर्डों, राज्य आयुष समितियों, राज्य बागवानी विभागों, क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों आदि जैसी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करेगा। इसका ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

****

संलग्नक-I

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के विकास के लिए एनएमपीबी और एनबीआरआई-सीएसआईआर के मध्य भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोड की भूमिका और उत्तरदायित्व

समझौता ज्ञापन की अवधि और कार्यकाल के दौरान, एनएमपीबी समग्र भारत में कार्यरत अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों अर्थात राज्य औषधीय पादप बोर्डों, राज्य आयुष समितियों, राज्य बागवानी विभागों, क्षेत्रीय-सह-सुविधा कद्रों आदि के माध्यम से एनएमपीबी के अधिदेश के दायरे में निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाने के लिए सीएसआईआर-एनबीआरआई के साथ संयोजन और सहयोग से कार्य करेगा:

1. जर्मप्लाज्म संग्रहण/संरक्षण और पौधशालाओं तथा बीज बैंकों/जीन बैंकों की स्थापना करने के लिए उच्च वाणिज्यिक मूल्य वाले संभावित औषधीय पादपों की प्रजातियों की पहचान करना।

2. एनएमपीबी द्वारा पहचाने गए औषधीय पादपों के लिए जर्मप्लाज्म/बीज बैंकों की स्थापना करने के लिए परियोजना मोड में वित्तीय सहायता प्रदान करके सीएसआईआर-एनबीआरआई को उपरोक्त मद संख्या-1 में सूचीबद्ध कार्य को पूरा करने में सहायता करना।

3. संबंधित जांच समिति द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन और सिफारिश करना और अनुमोदित परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए स्थायी वित्त समिति के समक्ष रखना और तदनुसार मामला दर मामला आधार पर बजटीय सहायता प्रदान करना।

सीएसआईआर-एनबीआरआई की भूमिका और उत्तरदायित्व

1. एनएमपीबी द्वारा पहचाने गए औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विकास करना, क्यूपीएम के लिए उनकी पादप पौधशालाओं की स्थापना करना, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के लिए दुलर्भ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधीय पादपों की प्रजातियां या पौधे सहित विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त औषधीय पादपों का विकास, संवर्धन, संरक्षण और खेती करना।

2. बड़े पैमाने पर गुणा, कृषि-प्रौद्योगिकी विकास, चयनित औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उत्पादन करना।

*नोट: क्यूपीएम प्रोटोकॉल परस्पर सहमति से विकसित किया जाएगा।

****